POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 17.06.2025

1.थाना नॉलेज पार्क पुलिस व एसटीएफ नोएडा की संयुक्त कार्यवाही में भूमाफिया रणदीप भाटी गैंग के 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.06.2025 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस व एसटीएफ नोएडा द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से भूमाफिया रणदीप भाटी गैंग के 02 अभियुक्त 1.सोनू पुत्र संजय चौधरी 2.वीरेन्द्र पोसवाल पुत्र रघुवर पोसवाल को ग्राम झट्टा, थाना नॉलेजपार्क से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नॉलेज पार्क पर मु0अ0स0 132/2025 धारा 318(4)/308(5)/324(5)/223/351(3)/329(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है, जो भूमाफिया रणदीप भाटी गैंग के सदस्य है, जो आमजन को डरा धमकाकर जमीन पर अवैध कब्जा करना, धोखाधडी करना, अवैध वसूली करना व माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने आदि अपराध में संलिप्त है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. सोनू पुत्र संजय चौधरी निवासी ग्राम मोमनाथल, थाना नालेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।
2. वीरेन्द्र पोसवाल पुत्र रघुवर पोसवाल निवासी ग्राम कपसई, थाना नरसेना, बुलन्दशहर।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

A.अभियुक्त सोनू--

1. मु0अ0सं0 20/2019 धारा 147/148/149/186/188/332/353 भादवि थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 355/2020 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनन अधिनियम थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 201/2019 धारा 147/148/149/504/364/323/302/120बी भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 356/2020 धारा 3/25 ए एक्ट थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 992/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

6. मु0अ0सं0 1405/2019 धारा 2(बी)(1),2(बी)(3),2(बी)(4),2(बी)(12),3(प्)2(बी)(8) गैंगस्टर एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 132/2025 धारा 318(4)/308(5)/324(5)/223/351(3)/329(3) बीएनएस थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

B.अभियुक्त वीरेन्द्र पोसवाल--

1. मु0अ0सं0 136/2019 धारा 323/504 भादवि थाना नरसैना, बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0 355/2021 धारा 386 भादवि थाना कोतवाली नगर, बुलन्दशहर।
3. मु0अ0सं0 132/2025 धारा 318(4)/308(5)/324(5)/223/351(3)/329(3) बीएनएस थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।

2.थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर 14,05,300/- रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले गैंग का 01मुख्य साइबर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.06.2025 को थाना साइबर क्राइम नोएडा द्वारा अभिसूचना संकलित करते हुये वादिया को डिजिटल अरेस्ट कर 14,05,300/- रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले अभियुक्त को दिल्ली से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादिया द्वारा दिनांक 26/05/2025 को मु0अ0सं0-0046/2025 धारा 308(2), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस व 66,66डी आई0टी0एक्ट का अभियोग थाना साइबर क्राइम नोएडा पर अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें साइबर अपराधी द्वारा स्वयं को टेलिकाम डिपार्टमेंट का कर्मचारी बता कर वादिया को illegal advertisement and harassment का अपराध कारित किया जाना बताकर डिजिटल अरेस्ट कर तथा फर्जी कागजात भेजकर गिरफ्तारी का भय दिखाया था। उसके बाद वादिया उपरोक्त से 14,05,300/- रुपयो को विभिन्न खातों में ट्रान्सफर कराकर साइबर धोखाधडी की गयी। विवेचना मे त्वरित कारवाही करते हुए धोखाधड़ी मे लिप्त बैंक खाते को तत्काल फ्रीज़ कराया गया।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया गया कि उसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर यस बैंक मे खाता खुलवाया, एवं उक्त खाते मे वादिनी से की गयी धोखाधड़ी का 14 लाख 5 हजार तीन सौ रुपया प्राप्त किया। जिसको अभियुक्त द्वारा स्वयं अपने बैंक खाते मे प्राप्त कर अपराध कारित किया है । अभियुक्त द्वारा ओपन कराए गए बैंक खाते को एनसीआरपी पोर्टल पर चैक करने पर कुल 21 शिकायते प्राप्त हुई है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं, घटना मे संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. संदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी विजय नगर बवाना नार्थ वेस्ट दिल्ली

<u>नोट- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु-:-</u>

1. यदि What's app call और video call द्वारा आपके खाते में हवाला अथवा मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बन्धित धनराशि आने की बात कही जाये तो उक्त कॉल पर यकीन न करें क्योकि कोई भी सरकारी संस्था मनी लान्ड्रिग अथवा हवाले के पैसे के सम्बन्ध में द्वारा दूरभाष अवगत नही कराती है।
2. किये गये What's app call और video call के विषय में एक बार कोई जानकारी साझा करने से पूर्व उक्त मो0न0 के विषय में निकटवर्ती Cyber cell अथवा सम्बंधित विभाग जैसे नार्कोटिक्स, फेडेक्स कोरियर, CBI आदि विभिन्न संस्थानो के हेल्प डेस्क से भी जॉच पडताल करें।
3. अगर आपके द्वारा कोई भी पार्सल नही भेजा गया है अथवा पार्सल में यदि बताया जा रहा है कि एक पार्सल मिला है जिसमें आपका आधार कार्ड या मो0न0 मिला है उक्त कॉल पर यकीन ना करें वह साइबर क्रिमिनल का कॉल हो सकता है । अगर किसी विधिक कानूनी कार्यवाही की धमकी दी जा रही हो तो घबराये नही तत्काल इस बात की सूचना सम्बन्धित / निकटवर्ती थाने में अवश्य दें।
4. अगर आपके आधार की आई0डी0 /आपके नाम से कोई बैंक खाता खोले जाने की बात कही जा रही हो तो उसे तत्काल ब्लॉक कराने के लिये सम्बन्धित नजदीकी बैंक जाकर उक्त के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर उक्त बैंक खाते को बन्द कराने की कार्यवाही को अमल में लाया जाये।
5. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाट्सअप कॉल और video call द्वारा पुलिस की वर्दी पहन कर किये जा रहे कॉल पर यकीन करने से पूर्व उक्त मो0न0 और बताये गये नाम व पद को GOOGLE SEARCH के द्वारा अथवा सम्बन्धित विभाग की वेवसाइट पर उपलब्ध अधिकारियों का और उनकी तैनाती स्थल की जाँच पडताल के बाद ही बतायी जा रही किसी बात का यकीन करें।
6. अगर What's app call अथवा video call द्वारा आपके खाते की जॉच के उपरान्त कोई पुलिस Clearance certificate की बीत की जाती है तो यह निश्चित तौर पर Cyber Fraudsters आप को गुमराह कर आप के खाते में मौजूद बैंक धनराशि को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते है।
7. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यदि आपको What's app call या video call कर आपको डराया या धमकाया जाता है तो आप इसके सम्बन्ध में अपने घर में मौजूद अन्य सदस्यो अथवा रिश्तेदारो को भी इसके विषय में अवश्य जानकारी दें।

3.थाना साइबर क्राइम नोएडा द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर 50,00,000 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले गैंग का 01 शातिर साइबर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.06.2025 को साइबर थाना नोएडा द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वादिया को डिजिटल अरेस्ट कर 50,00,000 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले अभियुक्त को दिल्ली से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादिया द्वारा दिनांक 26/05/2025 को मु0अ0सं0-0047/2025 धारा 308(2), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस व 66,66क् आई0टी0एक्ट का अभियोग थाना साइबर क्राइम नोएडा पर पंजीकृत कराया था। जिसमें साइबर अपराधी द्वारा पीडिता को टेलिकाम डिपार्टमेंट का कर्मचारी

बता कर वादिनी को मनी लाँडरिंग का अपराध कारित किया जाना बताकर डिजिटल अरेस्ट कर तथा फर्जी कागजात भेजकर गिरफ्तारी का भय दिखा कर वादिया उपरोक्त से 50,00,000/- रुपयो को ट्रान्सफर कराकर धोखाधडी की गयी। विवेचना मे त्वरित कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी मे लिप्त बैंक खातो को तत्काल फ्रीज़ कराया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया गया कि उसने अपने सहयोगीयो के साथ मिलकर यस बैंक मे खाता खुलवाया एवं उक्त खाते मे वादिनी का धोखाधड़ी का 04 लाख रुपये ट्रांसफर होना पाया गया जिसको अभियुक्त द्वारा स्वयं बैंक मे उपस्थित अन्य अभियुक्तों की मदद से निकाल लिया गया, इसी प्रकार अभियुक्त द्वारा अपने अन्य बैंक ऑफ बड़ोदा के खाते मे लगभग 14 लाख रुपये की निकासी की गई हैं, अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं, घटना मे संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

नोट-- मुकदमा उपरोक्त मे वादिया के साथ हुई धोखाधड़ी के 2,57,179 रुपये फ्रीज़ कराए गए है, मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम मे रिफ़ंड की कार्यवाही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त दिनांक 03.06.25 को उपरोक्त अभियोग मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं।
अभियुक्त द्वारा खुलवाये गये बैंक खाते को एनसीआरपी पोर्टल पर चेक करने पर कुल 02 शिकायते (उत्तर प्रदेश-01,महाराष्ट्र-01) शिकायते प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. सुमित पुत्र ओम प्रकाश निवासी ओल्ड चंद्रावल, खाईबर पास मेस, सिविल लाईन, नोर्थ थाना सिविल लाईन दिल्ली।

<u>नोट- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु-:-</u>

1. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाट्सअप कॉल और video call द्वारा पुलिस की वर्दी पहन कर किये जा रहे कॉल पर यकीन करने से पूर्व उक्त मो0न0 और बताये गये नाम व पद को GOOGLE SEARCH के द्वारा अथवा सम्बन्धित विभाग की वेवसाइट पर उपलब्ध अधिकारियों का और उनकी तैनाती स्थल की जाँच पडताल के बाद ही बतायी जा रही किसी बात का यकीन करें।
2. किये गये What's app call और video call के विषय में एक बार कोई जानकारी साझा करने से पूर्व उक्त मो0न0 के विषय में निकटवर्ती Cyber cell अथवा सम्बंधित विभाग जैसे नार्कोटिक्स, फेडेक्स कोरियर, CBI आदि विभिन्न संस्थानो के हेल्प डेस्क से भी जॉच पडताल करें।
3. अगर आपके द्वारा कोई भी पार्सल नही भेजा गया है अथवा पार्सल में यदि बताया जा रहा है कि एक पार्सल मिला है जिसमें आपका आधार कार्ड या मो0न0 मिला है उक्त कॉल पर यकीन ना करें वह साइबर क्रिमिनल का कॉल हो सकता है। अगर किसी विधिक कानूनी कार्यवाही की धमकी दी जा रही हो तो घबराये नही तत्काल इस बात की सूचना सम्बन्धित / निकटवर्ती थाने में अवश्य दें।
4. अगर आपके आधार की आई0डी0 /आपके नाम से कोई बैंक खाता खोले जाने की बात कही जा रही हो तो उसे तत्काल ब्लॉक कराने के लिये सम्बन्धित नजदीकी बैंक जाकर उक्त के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर उक्त बैंक खाते को बन्द कराने की कार्यवाही को अमल में लाया जाये।

5. यदि What's app call और video call द्वारा आपके खाते में हवाला अथवा मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बन्धित धनराशि आने की बात कही जाये तो उक्त कॉल पर यकीन न करें क्योकि कोई भी सरकारी संस्था मनी लान्ड्रिग अथवा हवाले के पैसे के सम्बन्ध में द्वारा दूरभाष अवगत नही कराती है।
6. अगर What's app call अथवा video call द्वारा आपके खाते की जॉच के उपरान्त कोई पुलिस Clearance certificate की बीत की जाती है तो यह निश्चित तौर पर Cyber Fraudsters आप को गुमराह कर आप के खाते में मौजूद बैंक धनराशि को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते है।
7. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यदि आपको What's app call या video call कर आपको डराया या धमकाया जाता है तो आप इसके सम्बन्ध में अपने घर में मौजूद अन्य सदस्यो अथवा रिश्तेदारो को भी इसके विषय में अवश्य जानकारी दें।